

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3718/2015

चौधरी नसरुद्दीन , उम्र 83 वर्ष, श्री अब्दुल्ला के पुत्र, मुसला उर्फ मूसा के पोते, निवासी, ग्राम रघुनाथगढ़ कालौनी तहसील रामगढ़ जिला अलवर (मृतक) अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से:--

1/1 रहमानी स्वर्गीय चौधरी की पत्नी नसरुद्दीन

1/2 मगरी पुत्री स्वर्गीय चौधरी नसरुद्दीन

1/3 फजारी पुत्री स्वर्गीय चौधरी नसरुद्दीन

1/4 कमर फरमान अली पुत्र स्वर्गीय चौधरी नसरुद्दीन

1/5 फरीसन पुत्री स्वर्गीय चौधरी नसरुद्दीन ,

1/6 अली रजाद्दीन पुत्र स्वर्गीय चौधरी नसरुद्दीन ,

1/7 ताहिरा पुत्री स्वर्गीय चौधरी नसरुद्दीन ,

1/8 इस्लाम पुत्र स्वर्गीय चौधरी नसरुद्दीन ,

1/9 असाक अली उर्फ आशिक अली पुत्र स्वर्गीय चौधरी नसरुद्दीन ,

1/10 बसीमना पुत्री स्वर्गीय चौधरी नसरुद्दीन ,

1/11 अंजुमन पुत्री स्वर्गीय चौधरी नसरुद्दीन

सभी निवासी ग्राम रघुनाथगढ़ कालौनी तहसील रामगाह जिला अलवर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. तहसीलदार के माध्यम से राजस्थान राज्य रामगढ़ जिला अलवर

2. जिला कलेक्टर, अलवर ।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए

: श्री राघवेंद्र सिंह खिची

श्री पवन पारीक

प्रतिवादी (ओं) के लिए

: श्री नीरज बत्रा , जी.सी.

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश

17/09/2024

1. यह याचिका राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर (संक्षिप्त रूप में 'मंडल') द्वारा पारित दिनांक 27.11.2014 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है। याचिका में मुद्रण संबंधी त्रुटि है। याचिका में विवादित आदेश को निरस्त करने की मांग करने के बजाय, यह प्रार्थना की गई है कि आदेश को बहाल किया जाए और उसे बरकरार रखा जाए। रिट को पढ़ने से स्पष्ट है कि मंडल के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं-वादीगण ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद दायर किया था जिसमें दलील दी गई थी कि ग्राम रघुनाथगढ़, तहसील रामगढ़, जिला अजमेर में खसरा संख्या 1144, 1145, 1783, 1799 और 1785 में स्थित प्रश्रगत भूमि पर याचिकाकर्ताओं का उनके पूर्वजों के समय से कब्जा है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद, भूमि को राजस्व अभिलेखों में याचिकाकर्ताओं के नाम दर्ज कर दिया गया और खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए गए। शिकायत यह थी कि बंदोबस्त की कार्यवाही के दौरान, भूमि को "सवाई" के रूप में दर्ज किया गया था। चक " और इसी आधार पर अधिकारी याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने का इरादा रखते थे। वाद का फैसला 02.11.2007 को सुनाया गया और प्रतिवादी द्वारा दायर अपील 17.07.2008 को खारिज कर दी गई। प्रतिवादी द्वारा बोर्ड के समक्ष दायर दूसरी अपील, जिसमें यह तर्क दिया गया कि विचाराधीन भूमि कस्टोडियन भूमि है और राजस्व न्यायालय का इसमें कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, स्वीकार कर ली गई।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि लिखित बयान में प्रतिवादियों का रुख यह था कि भूमि खातेदारी में नहीं दी जा सकती थी क्योंकि भूमि गैर है मुमकिन रास्ता और नाला। इस बात का कोई प्रमाण नहीं दिया गया कि संबंधित भूमि कस्टोडियन भूमि थी। प्रस्तुतीकरण यह है कि दिनांक 06.10.2009 की अधिसूचना द्वारा विस्थापित व्यक्ति (दावा) अधिनियम, 1950 (संक्षेप में '1950 का अधिनियम') निरस्त कर दिया गया था और अधिसूचना के अनुसार, गैर-आवंटित भूमि को "सवाई" माना जाना चाहिए। चक्र भूमि।

5. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बोर्ड ने विवादित आदेश में दर्ज किया है कि भूमि अब्दुल्ला के कब्जे में है और विवादित आदेश सही तरीके से पारित किया गया था।
6. प्रतिवादियों की अपील स्वीकार करते समय, बोर्ड ने दिनांक 06.10.2019 की अधिसूचना पर विचार नहीं किया, जिसके द्वारा 1950 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। इसके अलावा, इस बात का कोई तथ्य दर्ज नहीं किया गया है कि प्रतिवादी उस भूमि को कस्टोडियन भूमि कैसे मानते हैं।
7. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य कि भूमि याचिकाकर्ताओं के पूर्वजों के कब्जे में थी और अब उनके द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है, पर विचार नहीं किया गया। बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 27.11.2014 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और मामला बोर्ड को वापस भेजा जाता है ताकि वह कानून के अनुसार अपील पर नए सिरे से निर्णय ले सके।
9. याचिका स्वीकार की जाती है।
10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया गया है।

(अवनीश झिंगन) ,जे

चंदन /

74 रिपोर्ट योग्य: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी